उत्तरांचल बॉस एवं रेशा बोर्ड की प्रथम कार्यकारणी की बैठक
दिनांक 06–08–2003

उत्तरांचल वन विभाग के बॉस एवं रेशा बोर्ड की प्रथम कार्यकारणी बैठक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 06--08--2003 को डा0 आर0एस0टोलिया सचिव, वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त उत्तरांचल की अध्यक्षता में उनके वन अनुभाग--1 ,उत्तरांचल शासन, देहरादून स्थित कार्यालय कक्ष में सम्पन्न हुई । इस बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची संलग्नक--1 में दी गई है ।

अध्यक्ष महोदय ने सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया एवं चर्चा का आरम्भ करते हुए यह कहा कि रेशा उत्पादन हेतु रामबॉस एक महत्वपूर्ण प्रजाति है । रामबॉस पर पिछले 10--12 वर्षो से कार्य हो रहा है । अब इसकी खेती पर जोर देना है । चर्चा के दौरान यह वात सामने आई कि इस समय बुल विल तैयार हो गये हैं । अतः उन्होंने निर्देश दिये कि उन्हें एकत्र कर अलगे वर्षो की तैयारी की जाय । श्री एस0एस0शर्मा, परियोजना निदेशक ने सूचित किया कि जलागम परियोजना में गढ़वाल मण्डल के 6 हैक्टर एवं कुमाऊँ मण्डल के 4 हैक्टर क्षेत्र में रामबॉस के पॉच हजार पौधे प्रति हैक्टर की दर से लगाये जा चुके हैं एवं अगले वर्षो में इसे बढाया जायेगा । श्रीमती शर्मा का बिचार था कि इसे अवनत मृदा के क्षेत्रों में लगाया जाय । प्रमुख वन संरक्षक ने कहा कि अवनत मृदा क्षेत्रों में इसे लगाना उचित होगा । अतः यह निश्चय किया गया कि वृक्षारोपण क्षेत्रों में घेरवाड़ के साथ इसे लगाया जाय एवं सड़कों के किनारे ढ़ीली मृदा वाले क्षेत्रों में भी इसे लगाया जाय ।

रामबॉस के रेशे निकालने के पश्चात इसके अवशिष्ट पदार्थों के उपयोग पर भी चर्चा हुई और यह निश्चय किया गया कि इसपर विस्तृत शोध किया जाय । रेशा उत्पादन बढ़ाने के लिए ग्राम्य विकास सचिव श्री चोपड़ा का मत था कि इस संदर्भ में Coir Board क्वायर बोर्ड की तकनीक का अध्ययन कर लिया जाय । सदस्यों ने इसपर अपनी सहमति प्रकट की ।

अध्यक्ष महोदय ने आगे यह सुझाव दिया कि और्गनिक बोर्ड की तरह रेशा बोर्ड भी रतन टाटा ट्रस्ट के पास एक योजना वनाकर प्रस्ताव भेजे तथा कर्मचारियों का चयन कर नियुक्ति की जाय । इस सम्बन्ध में डा0 लेप्चा की अध्यक्षता में एक समिति बनाने का निर्देश दिया गया जिसके सदस्य निम्नवत होंगे –

1. श्रीमती के. के. शर्मा,
2. श्री राजीव ओबराय
3. श्री ए0आर0सिन्हा

कर्मचारी और्गनिक बोर्ड के समरूप ही रक्खे जॉय ।

बॉस पर चर्चा के दौरान यह तथ्य भी उभरकर आया कि बेंत की भी काफी सम्भवनाऐं हैं । प्रमुख वन संरक्षक ने यह सूचित किया कि [redacted]ई के वन प्रभागों की प्रबन्ध योजनाओं में बेंत प्रबन्धन के क्षेत्र एवं निर्देशन दिये हुए हैं । अध्यक्ष महोदय ने निर्देशित किया कि प्रस्तावित योजना में इसे भी सम्मिलित किया जाय । बॉस एवं अन्य रेशा उत्पादन पौधों पर चर्चा के समय यह बात उभर कर आई कि बौर्ड द्वारा रोपणों पर ही ध्यान दिया जाय अन्य गतिविधियाँ जैसे विपणन आदि के लिए बाह्य एजैन्सियों की सहायता ली जाय । बहुत सारे कार्य अन्यत्र हो गये हैं उन्हें दुवारा नये सिरे से न करके उनका लाभ लिया जाय । विपणन के लिए विभिन्न एजैन्सियों की सहायता ली जाय । आगामी अर्द्धकुम्भ एवं पर्यटक स्थल जैसे –जिम कौर्वेट, पार्क के कार्यालय कक्ष, धनगढ़ी द्वार आदि पर इसका विपणन वहाँ पर कार्यरत विभिन्न विकेताओं के माध्यम से कराया जाय ।

बॉस के बीज मिलने में विभिन्न कठिनाईयों को देखते हुए निश्चय किया गया कि टिसूकल्चर लैब की स्थापना हल्द्वानी स्थित राजकीय वानिकी शोध संस्थान में की जाय और इसके लिए निजी क्षेत्र का सहयोग लिया जाय ।

लोगों में विभिन्न प्रकार के रेशों के सम्बन्ध में जागरुकता बढ़ाने के लिए एक **सैन्टर आफ एक्सलैन्स** पनियाली कोटद्वार में खोला जाय और इसके लिए वन विभाग के पुराने नीलाम गृह को जलागम विभाग से सुन्दरीकरण करवाया जाय। यह भी बात उभरकर आई कि बौर्ड का कार्य धीरे–धीरे बढ़ रहा है अतः श्री लैप्चा से वननिगम से कार्यमुक्त कर उन्हें पूर्णकालिक कार्यकारी अधिकारी बना दिया जाय । प्रमुख वन संरक्षक का यह मत था कि वन विभाग में वर्तमान में अधिकारियों की कमी है और बोर्ड के पास अभी धनराशि नही है तथा इस कार्य में समय लग सकता है । अतः यह निश्चय किया गया कि बौर्ड के कार्यालय एवं कार्यकारी अधिकारियों को जलागम सभी आवश्यक संसाधन जैसे कार्यालय कक्ष, टेलीफौन, फैक्स आदि उपलब्ध करायेगा ।

अन्त में अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त की ।

संलग्नक–1

प्रमुख सचिव,वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त उत्तरांचल के कार्यलय कक्ष में बॉस एवं रेशा बोर्ड की प्रथम कार्यकारणी की बैठक दिनांक 06–08–2003 को सम्पन्न हुई । इस बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे –

1– डा0 आर0एस0टोलिया, प्रमुख सचिव,वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त उत्तरांचल शासन, देहरादून.
2– श्री एम0एम0इरवोला, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल, नैनीताल ।
3– श्री बी0 पी0 पाण्डे, सचिव, कृषि एवं जलागम, उत्तरांचल शासन, देहरादून।.
4– श्री राजीव चोपड़ा, सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
5– श्री एस. एस. शर्मा, परियोजना निदेशक,जलागम, उत्तरांचल,कोटद्वार ।
6– श्री ए0 आर0 सिन्हा, वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, उत्तरांचल, हल्द्वानी।
7– श्री गिरीश कुण्डवाल, प्रतिनिधि– गिरीश ग्रामोद्योग, उत्तरांचल, कोटद्वार।
8– डा. श्रीमती के0 के0 शर्मा, सचिव, महिला विकास संस्थान, उत्तरांचल, देहरादून।
9– श्रीमती रंजना काला, परियोजना निदेशक, जलागम, उत्तरांचल, देहरादून।
10– श्री एस0 टी0 एस0 लेप्चा, वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बॉस एवं रेशा बोर्ड, उत्तरांचल, देहरादून।

संलग्नक–2

बैठक में लिये गये मुख्य निर्णय –

1. वन विभाग द्वारा प्राकृतिक रुप से उगे हुए रामबॉस के बुल बिल जमा करना एवं नर्सरी में पौध तैयार करना ।

(कार्यवाही – प्रमुख वन संरक्षक उत्तरांचल)

2. आगामी वर्षो में रामबॉस की खेती के लिए उपयुक्त क्षेत्रों का चयन करना एवं उस क्षेत्र में जन समुदाय को प्रेरित करना ।

(कार्यवाही – श्री गिरीश कन्डवाल एवं श्रीमती डा0 के0के0 शर्मा,)

3. रेशे प्राप्त करने के पश्चात रामबॉस के अवशिष्ट पदार्थो का रासायनिक विश्लेषण इन्डियन ग्लाइकौल लिमिटेड काशीपुर की प्रयोगशालाओं में कराया जाय ।

(कार्यवाही – श्रीमती डा0 के0के0 शर्मा)

4. रेशा एवं बॉस बोर्ड की स्थापना हेतु योजना रतन टाटा ट्रस्ट को भेजी जाय ।

(कार्यवाही – श्री लैप्चा मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं डा.श्रीमती के. के. शर्मा)

5. क्वायर बोर्ड से रेशा निकालने के विभिन्न उपकरणों की जानकारी प्राप्त की जाय ।

(कार्यवाही – श्री एस.टी.एस. लैप्चा)

6. बोर्ड के लिए आवश्यक कर्मचारियों का चयन किया जाय ।

(कार्यवाही – श्री लैप्चा, श्री राजीव ओवराय, श्रीमती शर्मा एवं श्री ए0आर0सिन्हा)

7. वन पंचायतों में बॉस एवं अन्य रेशे उत्पादक पौधों के वृक्षारोपण बढ़ाने हेतु योजना का प्रारुप तैयार करना ।

(कार्यवाही – श्री जे0एस0सुहाग ,नौडल वन संरक्षक वन पंचायत)

8. बॉस की वर्तमान स्थित पर स्थिति पत्रक एवं तदनुसार आगामी वर्षो हेलु कार्ययोजना तैयार करना ।

(कार्यवाही – श्री लैप्चा, श्री राजीव ओवराय.)

9. आगामी वर्षो से हर रेंज के स्तर पर बॉस की नर्सरी तैयार करना तथा कम से कम 10 हैक्टर क्षेत्र में बॉस का रोपण करना ।

(कार्यवाही – प्रमुख वन संरक्षक उत्तरांचल)

10. आगामी वर्षों में बॉस वृक्षारोपण के लिए राइजोम बैंक की स्थापना करना ।

(कार्यवाही – वन संरक्षक अनुसंधान)

11. वन पंचायतों में बॉस एवं अन्य रेशेदार प्रजातियों के रोपण को बढ़ावा देने सम्बन्धी शासनादेश का प्रारुप प्रस्तुत किया जाना ।

(कार्यवाही – श्री लेप्चा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी)

12. योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक धनराशि प्राप्त होने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पूर्णकालीक रूष से कार्य करने के लिए वन विकास निगम में किसी सुयोग्य अधिकारी की पदस्थापना करना।

(कार्यवाही – प्रमुख वन संरक्षक उत्तरांचल)

13. पनियाली में स्थित पुराने नीलाम गृह का सुन्दरीकरण कर रेशे एवं बॉस के सम्बन्धित उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में विकास करना।

(कार्यवाही – श्री एस.एस. शर्मा, परियोजना निदेशक, जलागम)

14. रेशे उत्पादों का विपणन के नये अवसर/ विपणन केन्द्रों की स्थापना करना।

(कार्यवाही-- श्री लेप्चा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी)

15. यह भी निश्चय किया कि सोसाइटी फॉर पीपल डेवलपमेन्ट को शासन की तरफ गैर सरकारी संस्था के रूप में सामिल किया जाय एवं श्री राजीव ओबराय, अध्यक्ष को इस कार्य हेतु प्रबन्ध मण्डल में नामित किया जाय।

(कार्यवाही–श्री लेप्चा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी)

16. बॉस आधारित उद्योग के प्रतिनिधि के रूप में प्रबन्ध मण्डल में सेन्चुरी पल्प एण्ड पेपल मिल, लालकुँवा हल्द्वानी के प्रतिनिधि को शामिल किया जाय।

(कार्यवाही–श्री लेप्चा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी)

17. वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण दो वन पंचायत सरपंच एक–एक कुमाँऊ एवं गढ़वाल से चुनकर उनका नाम शासन को भेजेंगे ताकि उन्हें भी प्रबन्ध मण्डल में शामिल किया जाय।

(कार्यवाही वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण)

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
बॉस एवं रेशा बोर्ड, उत्तरांचल,
देहरादून।

अनुमोदित।

(डा. आर0 एस0 टोलिया)
प्रमुख सचिव वन
एवं ग्राम्य विकास आयुक्त,
उत्तरांचल शासन, देहरादून।

Bamboo Mission
Meeting on 6 August, 2003
Under the Chairmanship of Shri R.S. Tolia P. Sec FRDC

Sl.	Name	Designation	Signature
1.	B.P. Pandey	Secy. Agri & Watershed	[illegible]
2	S.S. Sharma	P.D. [illegible]	[illegible]
3.	Rajeev [illegible]	Secretary, SP.D	[illegible]
4.	A.R. SINHA	CF R&T Haldwani	[illegible]
5.	M.M. HARBOLA	Principal chief Conservator of Forests, Uttaranchal	[illegible]
6.	GIRISH KANDWAL.	GIRISH GRAMODYOG KOTDWAR.	[illegible]
7.	DR(MRS) K.K. SHARMA	SEC. WOMEN'S DEV. ORGANISATION, D. DUN.	[illegible]
8.	RAMJANA KALA	P.O (Adm) Watershed Management Directorate	[illegible]
9.	SANJEEV [illegible]	Secy RD [illegible]	[illegible]
10.	S.T.S. Lepcha	C.F. Nodal/RM(G) UAFDC.	[illegible]
11	Dr. R.S. Tolia	P. Sec. F.R.D.C.	[illegible]